

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, म0प्र0 भोपाल

फोन:- 0755.2578491, फेक्स - 0755.2570122

ईमेल: dirhort@mp.nic.in

क्रमांक/उद्यान/एस.एम.एफ.पी./2016-17/3116

भोपाल, दिनांक 15/5/2017

-: मार्गदर्शी निर्देश :-

विषय :- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रह केन्द्रों की स्थापना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश।

संदर्भ :- म.प्र. उद्योग संवर्धन नीति 2014 के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायता हेतु मार्गदर्शी निर्देश।

1. उद्देश्य :-

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नश्वर उत्पादों के परिरक्षण एवं प्रसंस्करण हेतु सुविधायें विकसित करने में अनुदान सहायता दिया जाना है ताकि कृषकों के उत्पादों की शेल्फलाइफ बढ़ाई जा सके एवं कृषकों को बेहतर कीमते प्राप्त हो सकें।

2. योजना की मुख्य विशेषताएं :-

संग्रहण केन्द्र की स्थापना की योजना में निम्न घटक होंगे :-

1. न्यूनतम भूमि आवश्यकता 1-2 एकड़ होगी।
2. फार्म स्तर पर न्यूनतम प्रोसेसिंग सुविधाएं जिसमें वजन, सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्री-कूलिंग, नियंत्रित वायुमंडल (सीए)/परिवर्तित वायुमंडल (एमए), कोल्ड स्टोरेज, ड्राई गोदामों और आईक्यूएफ।
3. नश्वर उत्पादों के परिवहन के लिये उपयुक्त मोबाइल प्री-कूलिंग ट्रक और रीफर ट्रक।

3. योग्य क्षेत्र:

यह योजना बागवानी और गैर-बागवानी दोनों प्रकार के उत्पादों पर लागू होनी है। जैसे: फल, सब्जियां, औषधीय उत्पाद, मसालें, अनाज और दालों, डेयरी उत्पाद, मांस, मुर्गी और मछली आदि।

4. योग्य संगठन:


व्यक्तिगत उद्यमी/ किसान, कृषक उत्पादक संगठन, सहकारी समूह, स्वयं सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठन आदि सहायता के लिए पात्र हैं।

5. पात्रता शर्तें:

1. परियोजना के लिए प्रस्ताव बैंक/ वित्तीय संस्थानों द्वारा विधिवत मूल्यांकन के साथ किया जाना होगा।
2. मूल्यांकन रिपोर्ट में सभी परियोजना घटकों को शामिल करना चाहिए जिसके लिए अनुदान मांगा है।
3. वाणिज्यिक परिचालन की तिथि, आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पहले नहीं होनी चाहिए।
4. आवेदक/संगठन से इसी परियोजना हेतु अन्य किसी संस्थान से अनुदान सहायता हेतु आवेदन न किये जाने/सहायता प्राप्त नहीं किए जाने का शपथ पत्र।

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया:

वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा आनलाइन आवेदन उपरांत निर्धारित प्रारूप में सुसंगत दस्तावेज के साथ एक माह में पूर्ण प्रस्ताव विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ संचालनालय, उद्यानिकी में जमा करने होंगे।



6. अनुदान सहायता के मापदण्ड :-

इस योजना के तहत स्वीकृत अनुदान राशि की अधिकतम सीमा रूपये 1.00 करोड़ है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पात्र परियोजना लागत का 50% प्रति प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर/कलेक्शन सेंटर के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।

भूमि की लागत, तैयारी पर हुये व्यय, कार्यशील पूंजी और आकस्मिकता के लिए मार्जिन मनी, गैर-तकनीकी सिविल कार्य और प्लांट और मशीनरी जो सीधे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर/कलेक्शन सेंटर गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं, अनुदान लागत की गणना करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

7. अनुदान जारी करना:

लाभार्थी को अनुमोदित अनुदान सहायता दो किस्तों में जारी की जाएगी।

7.1 प्रथम किस्त - (परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 50.00 लाख)


1. बैंक द्वारा स्वीकृत टर्म लोन का 100 प्रतिशत राशि के वितरण उपरांत।
2. विधिवत नोटराइज्ड बॉण्ड- नॉन-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर कम से कम के निष्पादन के लिए 100 रु का।
3. चार्टर्ड एकाउंटेंट सर्टिफिकेट- परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय, वित्त के साधन और टर्म लोन योगदान के 100% उपयोग।

7.2 दूसरी किस्त (परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 50.00 लाख)

1. विभाग के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा साइट निरीक्षण रिपोर्ट में पात्र पाये जाने पर।
2. विभाग के अनुसार पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर।

8. परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी:

परियोजना पूर्ण किए जाने की अवधि 24 माह।



संचालक

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

म०प्र० भोपाल

क्रमांक/उद्यान/एस.एम.एफ.पी./2016-17/ 3117

भोपाल, दिनांक 15/5/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
2. प्रबंध संचालक, एम.पी.एग्रो भोपाल।
3. संयुक्त संचालक उद्यान संभाग.....।



संचालक

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

म०प्र० भोपाल